समावेशी विकास का लैंगिक असमानता पर प्रभाव

डा0 वन्दना कुमारी
प्राचार्य,
अर्थशास्त्र विभाग,
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
हमीरपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

डा0 मनीश कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर,
अर्थशास्त्र विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
हमीरपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है विश्व की तीव्र गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। स्वतंत्रता के पश्चात तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना ;1951.1956द्ध की शुरूआत के साथ ही उच्च आर्थिक संवृद्धि दर को प्राप्त करने का एक प्रमुख उद्देश्य रखा क्योंकि इसके द्वारा ही उच्च आर्थिक विकास के परिपथ को प्राप्त किया जा सकता है जिसके साथ ही योजना के 'केन्द्रीयकृत' स्वभाव को स्वीकार किया गया और साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि 'रिसाव प्रभाव' के द्वारा आर्थिक विकास के लाभ समाज के निचले तबके तक

पहुँचेगा। किन्तु समय के साथ ऐसा न हुआ और लगातार समाज का एक तबका आर्थिक विकास के लाभ से वंचित होता गया। उदारीकरण के पश्चात 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) में विशेष तौर से इस बात को प्रमुखता दी गयी और समावेशी विकास को योजना का मुख्य शीर्षक बनाया गया वहीं 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के शीर्षक तीव्र सतत् और अधिक समावेशी संवृद्धि रखा गया। उदारीकरण (1990-91) के पहले तथा इसके बाद भारत सरकार के द्वारा लैंगिक भेदभाव को हर स्तर से समाप्त करने की ओर कदम उठाये गये किन्तु परिणाम ज्यादा उत्साहजनक नहीं रहे। जैसाकि लैंगिक असमानता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 140वॉ है वही भारत के पड़ोसी देशों से तुलना करें तो मालदीव-128वॉ, श्रीलंका-116, नेपाल-106वॉ, भूटान-130वॉ, बंग्लादेश-65वां, पाकिस्तान-153वॉ है। यह सूचकांक मानव विकास का ही भाग है यदि लैंगिक विकास सूचकांक (ळक्प्) की बात करें तो स्थिति इससे भी खराब है लैंगिक विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 123वॉ है। वहीं इसके पड़ोसी देशों में भूटान व पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सबकी स्थिति इससे अच्छी है। लैंगिक विकास सूचकांक में तीन बुनियादी पहलुओं को शामिल करते हैं। उत्तरजीविता शिक्षा एवं आय की प्राप्ति में लैंगिक असमानता का मापन किया जाता है। इस प्रकार लैंगिक असमानता शिक्षा, रोजगार, सामाजिक व आर्थिक, स्वास्थ्य उचित पौष्टिक आहार, निर्णयन क्षमता इत्यादि के क्षेत्र में आसानी से पायी जाती है।

समावेशी विकास रणनीति प्रारम्भ करने के पीछे कुछ प्रमुख कारण रहे जिसमें लैंगिक विषमता भी एक कारण था।

शोध पत्र के उद्देश्य

1. इस शोध पत्र में लैंगिक असमानता को जॉचना।
2. समावेशी विकास रणनीति का लैंगिक असमानता पर क्या प्रभाव पड़ा और इसने लैंगिक असमानता को कितना कम किया इसको जाँचना।
3. लैंगिक असमानता में कमी के कारण महिला सशक्तिकरण की शुरूआत को जाँचना।

समावेशी विकासः-

प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरूआत के साथ ही यह स्वीकार किया गया कि 'रिसाव प्रभाव' ;ज्तपबासम कवूद ळिमबजद्ध के कारण सभी तक आर्थिक विकास के लाभ पहुँचेगा अर्थात समाज के सबसे निचले तबके तक किन्तु समय के साथ ऐसा न हो पाया और समाज का एक वर्ग लगातार आर्थिक विकास के लाभों से वंचित होता गया। वंचित वर्गों तक आर्थिक विकास के लाभ को पहुॅचाने के लिए सरकार के द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) व 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के शीर्षक को समावेशी संवृद्धि से जोड़ा गया जो कि इस बात को स्पष्ट करता है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर काफी गंभीरता दिखा रही है। समावेशी संवृद्धि का तात्पर्य है कि आर्थिक विकास के लाभ समाज के उन तबको व दूर दराज इलाकों तक पहुँचाना है जो कि समाज की मुख्य धारा से अलग-अलग या पूरी तरह

से कट गये हैं। इन तक केवल आर्थिक विकास के लाभ ही नहीं पहुँचाना बल्कि इनको आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित भी करना है। ताकि वह अपनी भाषा में यह बता सके की वह भारत की तरक्की का अभिन्न अंग है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ;न्छक्च्द्ध व विश्व बैंक ने समावेशी विकास को असंतुलनों तथा असमानताओं में सुधार करने का सुनिश्चित साधन व अच्छा गन्तव्य माना है। लैंगिक असमानता भारतीय समाज में एक बुराई की तरह है, पूर्व काल से ही यह विद्यमान है। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक व सांस्कृतिक रूप से महिलाओं को पुरूषों के बराबर अधिकार नहीं प्राप्त हैं। इसके साथ शिक्षा, स्वास्थ्य में भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। किन्तु वैश्वीकरण के दौर में लैंगिक असमानता में व्यापक बदलाव देखे गये। समावेशी विकास के द्वारा लैंगिक असमानता में काफी कमी आयी और भारत सरकार ने अपने विभिन्न सामाजिक व आर्थिक कार्यक्रमों के माध्यम से लैंगिक असमानता को जड़ से समाप्त करने का महत्वपूर्ण कदम उठाया। किन्तु इसके साथ ही इस बात को नजरन्दाज नहीं किया जा सकता कि आज भी भारत में महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण व यौन उत्पीड़न जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है जिसको मानव विकास सूचकांक ;भ्क्प्द्ध की रैंकिंग में होने वाले गिरावट से आंका जा सकता है। भारत आज भ्क्प् की रैंकिंग में 131वें (2020) स्थान पर है। समावेशी विकास रणनीति के द्वारा ही महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक समावेशन के मंजिल को पाया जा सकता है।

तालिका-1

भारत में महिला-पुरूष साक्षरता अन्तराल जनगणना वर्ष व्यक्ति पुरूष महिलायेंमहिला पुरूष साक्षरता अन्तराल (प्रतिशत में)

जनगणना वर्ष	व्यक्ति	पुरूष	महिलायें	महिला पुरूष साक्षरता अन्तराल (प्रतिशत में)
1951	18.33	27.16	8.86	18.30
1961	28.30	40.40	15.35	25.05
1971	34.45	45.96	21.97	23.98
1981	43.57	56.38	29.76	26.62
1991	52.21	64.13	39.29	24.84
2001	64.83	75.26	53.67	21.59
2011	74.04	82.14	65.46	16.68

स्त्रोत– भारत की जनगणना–2011 (Census of India 2011)

तालिका-1 में यह स्पष्ट होता है कि 1951 में जब स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना होती है तो उस समय जहां पुरूष साक्षरता 27.16 प्रतिशत थी वहीं महिलाओं की साक्षरता कुल 8.86 प्रतिशत थी वहीं स्त्री पुरूष साक्षरता अन्तराल 18.30 प्रतिशत थी। लैंगिक विषमता काफी अधिक मात्रा में विद्यमान थी किन्तु पंचवर्षीय योजनाओं के साथ ही सामाजिक विकास के सूचकों शिक्षा, स्वास्थ्य निर्धनता की ओर सरकार की ओर से व्यापक स्तर पर ध्यान दिया गया जिसका परिणाम यह रहा कि जनगणना 2011 में जहॉ पुरूष साक्षरता 74.04 प्रतिशत है वहीं महिला साक्षरता 8.86 प्रतिशत (1951) से

बढ़कर 65.46 प्रतिशत (2011) हो गयी तथा स्त्री पुरूष साक्षरता अन्तराल 18.30 प्रतिशत (1951) से कम होकर 16.68 प्रतिशत (2011) में हो गयी। इस तरह साक्षरता की ओर सरकार के द्वारा जो भी कदम उठाये गये उसका प्रभाव सकारात्मक रखा।

तालिका-1

लैंगिक प्राथमिकता सूचकांक (भारत)

	1990-91	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
प्राथमिक शिक्षा	0.76	0.95	0.94	0.94	0.98	1.00	1.00
सेकेन्ड्री शिक्षा	0.60	0.79	0.80	0.80	0.85	0.85	0.88
उच्च शिक्षा	0.54	0.71	0.69	0.69	0.70	0.70	0.74

स्त्रोतः मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

भारत में लैंगिक विषमता को समाप्त करने के लिए समय-समय पर सरकार के द्वारा विशेष प्रयास किए गये महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए गुणात्मक व परिमाणात्मक सूचकों को लिया गया है जिसके माध्यम से महिला सशक्तिकरण को मापने का प्रयास किया गया। अगर गुणात्मक रूप से देखें तो आत्मविश्वास, महिलाओं की आर्थिक सहभागिता, निर्णयन क्षमता, उत्तरदायित्व की भूमिका, आराम का समय, घरेलू हिंसा इत्यादि है। वही परिमाणात्मक पहलू में कुल महिलाओं की संख्या जो भागीदारी कर रही है, संसाधनों की पहुँच तथा उन पर नियंत्रण, शारीरिक स्वास्थ्य स्थिति, साक्षरता का स्तर, राजनीतिक सहभागिता।

तालिका-3

महिलाओं से सम्बन्धित सूचक

सूचक	पुरूष	महिला
साक्षरता दर	82.14	65.46
मातृ मृत्यु दर (MMR) (प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर) SRS 2009-10	-	212
लिंगानुपात (जनगणना–2011)	1000	943
शिशु लिंगानुपात (0–6 वर्ष) जनगणना (2011)	1000	914
कार्यकारी जनसंख्या का प्रतिशत (प्रति 1000)	819	336
MPs लोक सभा (प्रतिशत में)	89-18	10-82

तालिका-3 में यह बात स्पष्ट होती है कि जहॉ साक्षरता में वृद्धि देखी गयी है उस अनुपात में मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर ने कमी नहीं पायी गयी। वहीं लिंगानुपात के स्तर पर बढ़ोत्तरी तो हुयी किन्तु उतना नहीं जितना अपेक्षित थी। वहीं कार्यकारी जनसंख्या में भी व्यापक अन्तराल विद्यमान है। नियोजन के तीन दशकों के दौरान प्रमुख नीतियों में महिलाओं के लिए तीन कार्यक्रम प्रमुख रूप से थे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं तथा जन भागीदारी के लिए मूल भूत संरचनाओं के निर्माण में इनको प्रमुख लक्ष्य में रखा गया। महिला सरोकारों के बारे में बात करते समय नीतिकारों के दिमाग में केवल सामाजिक सेवाओं को प्रदान करने की बात आती थी। वहीं संसाधनों के आवंटन पर कम ध्यान दिया गया। 1975 में ही अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया गया और आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका पर बल दिया गया इनके लिए विशेष

योजनायें बनी। इसी समय से 'जेंडर क्रांति' (स्त्री-पुरूष समानता) की शुरूआत हुयी। सरकार अपनी नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों में अब ध्यान देना शुरू कर दिया।

समावेशी विकास रणनीति के द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनायें शुरू की गयी जिसके द्वारा स्त्रियों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ ही स्त्री-पुरूष के बीच अन्तराल को भी पाटने में काफी सहायक की भूमिका निभायी है। समावेशी विकास के तहत कुछ प्रमुख योजनायें जो काफी महत्वपूर्ण रही लैंगिक अंतराल को कम करने में।

मनरेगाः-

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना की शुरूआत 2006 में भारत के 200 सौ जिलों से की जाती है। किन्तु आगे इसे देश के सम्पूर्ण जिलों में लागू कर दिया गया। मनरेगा की शुरूआत के साथ ही यह स्पष्ट कर दिया गया था कि इसके द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है जिसके लिए समान व नजदीक रोजगार उपलब्ध कराया गया, साथ ही कार्यस्थल की स्थिति, समान मजदूरी का भुगतान व निर्णय लेने में इनकी भूमिका को मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया गया।

2006-07 से 2018-19 तक महिलाओं की भागीदारी 40-53 प्रतिशत तक हो गयी जबकि न्यूनतम 33 प्रतिशत इनकी भागीदारी को निर्धारित किया गया था। महिलाओं की भागीदारी इस योजना में काफी अधिक रही है। जैसाकि मनरेगा विश्व की सबसे बड़ी

रोजगार की गारन्टी प्रदान करने वाली योजना है। इससे महिलाओं के कार्यों को पुरूषों के समान माना और समान भुगतान प्रदान किया इसका काफी सकारात्मक प्रभाव समाज दिखाई पड़ा क्योंकि मजदूरी की परंपरागत विभेदात्मकता काफी लम्बे समय से चली आ रही थी। मनरेगा के कारण जागरूकता में वृद्धि देखी गयी और निर्णय क्षमता में महिलाओं की भूमिका बढ़ी तथा मजदूरी भुगतान की विभेदात्मकता में काफी हद तक कमी आयी।

तालिका-4

मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी

	FY 2006-07	FY 2007-08	FY 2008-09	FY 2009-10	FY 2010-11	FY 2011-12	FY 2012 -13	FY 2013-14
महिलायें	(40%)	(43%)	(48%)	(48%)	(48%)	(48%)	(51%)	(54%)
	FY 2014-15	FY 2015-16	FY 2016-17	FY 2017-18	FY 2018-19			
	(55%)	(55%)	(56%)	(53%)	(53%)			

स्रोत- MGNREGA website of GoI

तालिका-4 में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जहॉ 2006-07 में 40 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी थी वहीं यह 2018-19 में बढ़कर 53 प्रतिशत हो गयी जो कि इस योजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आर्थिक विकास को अपने आप में ही एक उद्देश्य नहीं मान लेना चाहिए बल्कि इसे सबके लिए समृद्धि लाने का एक साधन समझना चाहिए भारत का अपना व विश्व का अनुभव यही बताता है कि लैंगिक

असमानता तथा निर्धनता को समाप्त करने के लिए विकास आवश्यक है लेकिन यही एक मात्र पर्याप्त शर्त नहीं है। विकास को बढ़ावा देने की ऐसी नीतियॉ होनी चाहिए जो कि लैंगिक आधारित हर प्रकार के भेद भाव को समाप्त करें तथा यह सुनिश्चित करें की अधिक से अधिक लोग विकास प्रक्रिया में हिस्सा लें और ऐसे तंत्र का निर्माण करें की जो बाजार की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते उन तक इस विकास के लाभ भी पहुँच जायें।

जननी सुरक्षा योजना ;(JSY) :-

इस योजना की शुरूआत 2005 में की गई थी जननी सुरक्षा योजना का लक्ष्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ मृत्युदर ;डडत्द्ध को नीचे लाना है। इस योजना से लाभ पाने वाली माताओं की संख्या 2005-06 में 7.38 लाख से बढ़कर 2011-12 में 1.09 करोड़ से अधिक हो गई है। और वहीं संस्थागत प्रसव की संख्या 2005-06 में 1.08 करोड़ थी जो बढ़कर 2011-12 के दौरान 1.75 करोड़ हो गई है। इसके अलावा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ;श्रैज्ञद्ध के रूप में एक नई पहल की गयी जिसमें जन स्वास्थ्य संस्थान में जन्म देने वाली सभी माताओं के लिए शल्यक्रिया, मुफ्त दवाएं, निदान, रक्त एवं आहार सहित मुफ्त जनन और परामर्श के दौरान पर से संस्थान तक मुफ्त परिवहन को शामिल करते हुए पूर्णतया इसको निःशुल्क बना दिया गया। इस योजना का सीधा प्रभाव लिंगानुपात पर पड़ता है जिसके फलस्वरूप स्त्री-पुरूष लिंगानुपात के बीच जो अन्तर था उसमें कमी आनी शुरू हो गयी है। महिलायें स्वास्थ्य के मामले में कहीं न कहीं

पुरूषों से पीछे ही जिनको विशेष तवज्जो देने की आवश्यकता थी।

एकीकृत बाल विकास सेवा ;(ICDS) स्कीमः-

एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम का उद्देश्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का समग्र विकास और गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा है। जिसके लिए 1975 में 33 परियोजनाएं और 4891 आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गए थे वर्तमान समय में 7028 एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजनाएं और 13.31 लाख आंगनबाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं ये वर्तमान में 28 लाख लाभान्वितों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आई0सी0डी0एस0 के सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1,23,580 करोड़ रूपये खर्च करने का बजट रखा गया है।

सबलाः-

सबला देश के 205 चुनिंदा जिलों में कार्यरत है जिसका उद्देश्य 11-18 वर्ष के आयु वर्ग की किशोर लड़कियों का समग्र विकास तथा उन्हें स्वावलम्बी बनाना है। इनमें विशेष तौर से स्कूल न जाने वाली लड़कियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। जिसके तहत उन्हें पोषण तथा विकासात्मक गतिविधियों पर बल दिया गया।

राष्ट्रीय महिला कोषः-

यह योजना जीवन-यापन संबंधी क्रियाकलापों हेतु क्रेडिट के माध्यम से निर्धन महिलाओं और उनके सशक्तिकरण पर अधिक ध्यान देता है। इसके माध्यम से महिलाओं को माइकोक्रेडिट के द्वारा

आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष बल दिया गया। अब तक 7.19 लाख (2012) महिलायें इससे लाभान्वित हो चुकी है।

इनके अलावा भी महिलाओं को समाज के समता के स्तर पर लाने के लिए इंदिरा गॉधी मातृत्व सहयोग योजना, महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन तथा महिलाओं के विरूद्ध हिंसा से निपटने के लिए नीतियाँ।

राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम (2004)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अधिक मात्रा में वित्तीय सुविधायें प्रदान की जाती है जिसके माध्यम से प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जा सके। इस कार्यक्रम के माध्यम से मॉडल स्कूल, पढ़ने की किताबें, यूनीफार्म व अन्य इसकी आवश्यक चीजें प्रदान की जाती है जो कि बालिका शिक्षा के लिए आवश्यक है। इसके माध्यम से निर्धन परिवार के उपर पढ़ने वाले शिक्षा के भार को कम करना निर्धनता व लैंगिक विभेदात्मकता के कारण बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता जिसके कारण शिक्षा में स्त्री-पुरूष अन्तराल बना हुआ है। इस कार्यक्रम के द्वारा इस प्रकार के समस्त अवरोधों को समाप्त करना तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना ही इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है।

मिड डे मील योजना ;(MDM).

शिक्षा में लैंगिक अन्तराल को समाप्त करने के लिए भारत सरकार 1995 में मिड-डे-मील योजना शुरू किया जिसके माध्यम से

कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों केो पौष्टिक भोजन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया अब इसे कक्षा 8 तक कर दिया गया है। इस योजना का मूल उद्देश्य नामांकन को बढ़ावा देना तथा बच्चों की उपस्थिति में वृद्धि करना प्राथमिक स्तर पर साथ ही बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना जिससे लैंगिक अन्तराल को प्राथमिक स्कूल के स्तर पर ही समाप्त किया जा सके। इस योजना के द्वारा भारी संख्या में बालिकायें स्कूल आने लगी अर्थात पहले से अब स्कूल में बालिकाओं की उपस्थिति में इजाफा हुआ है। साथ ही लैंगिक अन्तराल में कमी आयी है जो एक अच्छा सूचक है।

पंचायती राजः-

पंचायती राज में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था से महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करने पर जोर दिया गया जिससे इनकी उपस्थिति को सुनिश्चित किया जा सके ताकि यह अपनी बात को मजबूती के साथ रख सके। पंचायती राज के लागू होने के पश्चात पंचायत की विभिन्न संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है जो कि 42 प्रतिशत से अधिक हो गयी है। बिहार भारत का एक मात्र राज्य है जो कि महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है। पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 29 लाख है जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का 37 प्रतिशत है। 110वें संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की बात की गयी है जिसके फलस्वरूप निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या 14 लाख से अधिक हो जायेगी। आज महिलाओं को हर क्षेत्र

में बढ़ने का मौका मिल रहा है जिससे इनकी बाते गॉव की पंचायत से संसद तक पहुँचती है।

समावेगी रणनीति का व्यापक असर समस्त क्षेत्रों पर पड़ रहा है किन्तु यह पर्याप्त नहीं है इसके लिए अभी काफी प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। इन योजनाओं के अलावा भी कई महत्वपूर्ण योजनायें सरकार के द्वारा शुरू की गयी जो बहुउद्देशीय थी। लैंगिक विषमता समाज की एक बुराई है जो कि हर स्तर पर विद्यमान है इसका नकारात्मक प्रभाव महिलाओं पर देखने को मिलता है जिससे इनका सम्पूर्ण विकास प्रभावित होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण की ओर जब कदम बढ़ाया तो दुनिया से कई महत्वपूर्ण पाठ सीखने को मिले जिनमें से स्त्री पुरूष समानता एक था। हमारे समाज में आज भी भारी मात्रा में लिंग का परीक्षण करा कर बच्चीयों को जन्म से पूर्व ही गर्भपात करा कर उनको मार दिया जाता है अर्थात केवल लड़के की चाहत में होता है इसके पीछे यह हमारी पितृ सत्तात्मक व्यवस्था सबसे प्रमुख जिम्मेदार है यह विकृत मानसिक प्रवृत्ति पढ़े-लिखे लोगों में सबसे ज्यादा पायी जाती है, किंन्तु अगर मानसिक बदलाव को लाया जाये तो इस स्थिति को ठीक किया जा सकता है इसके लिए जन जागरूकता की शुरूआत करनी है। भारत सरकार ने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' की शुरूआत कर दी है जिसका मूल उद्देश्य ही यह है की समाज में बेटियों को लड़कों के समान महत्व दिया जाये।

निष्कर्ष तथा सुझाव

महिलायें समाज की धुरी है जिनके बिना समाज की कल्पना

भी नहीं की जा सकती इनकी समाज में जो भेदभावपूर्ण स्थिति है इसे समाप्त करना नितांत अति आवश्यक है। जैसाकि सरकार के द्वारा समावेशी विकास रणनीति के अन्तर्गत इस ओर अपने कदम बढ़ा दिये हैं। इसके परिणाम भी सकारात्मक दिखाई देने लगे हैं। क्योंकि जहां महिलाओं की स्थिति बिल्कुल नहीं थी वहां पर भी अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रही हैं। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में विकास योजनायें 'मील का पत्थर' सिद्ध हो रही है। उपरोक्त के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य ;डक्ळेद्ध का तीसरा लक्ष्य जो लैंगिक असमानता को हर स्तर से समाप्त करने की वकालत करता है उससे अभी हम बहुत दूर हैं जिसे पाने के लिए काफी अधिक तीव्र व सतत् प्रयास की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय स्तर व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आज महिलाएं पुरूषों से कंधा से कंधा मिलाकर चल रही है यह बात सत्य है कि भारत सरकार अगर अपनी महिलाओं की आबादी अर्थात 50 प्रतिशत का भी पूरी तरह से प्रयोग कर ले तो भारत काफी आगे निकल सकता है। इसके लिए सरकार को व्यापक स्तर पर महिलाओं की स्थिति को सुधारने तथा सुदृढ़ करने पर ध्यान देना होगा। तभी एक विकसित सफल व खुशहाल भारत का सपना पूरा हो पायेगा।

संदर्भ सूची

1. *Sen, Amartya (2000): 'Six Billion and All That', a public lecture in Oxford, February 3.*
2. *Singh, Tejbir (1997): 'The problem' in Tejbir Singh (ed), Empowering Women: A Symposium on Political Reservations for Women, Seminar, 457, New Delhi, September, pp 12-13.*

3. *Pant, G B (2004): Participatory Democracy at Grassroots Level and Women's Performance in panchayat Raj Institutions: Evidences from Madhya Pradesh, a paper presented in the seminar on 'Rural Women and Economic Empowerment of Women in South Asia at Social Science Institute, Allahabad, India.*
4. *Mahbub ul Haq Human Development Centre (2000) : Human Development in South Asia, Oxford Universiy Press.*
5. *UNDP (2013) : Human Development Report, New York.*
6. *UNDP (2012) : Human Development Report, New York.*
7. *The Hindu (2011): "Infant Mortality Rate Shows Slight Decline", The Hindu, New Delhi, 28 December.*
8. *The Times of India (2013): Ínfant Mortality Down by 30% in Past Decade", The Times of India, New Delhi, 22 October.*
9. *Dreze, J (2007) : NREGA : "Dismantling the contractor Raj" The Hindu, November 20.*
10. *Desai, N. and U. Thakkar (2007) : "Women and Political Participation in India," Women in Indian Society, New Delhi, National Book Trust.*
11. *Eleventh five year plan (2007-12) Inclusive growth, vol. 1 Planning commission of India, Oxford press, New Delhi, 2008.*
12. *Government of India, Census of India, 2011.*
13. *Srivastava Achala (2010) "Socio-economic status of women and Gender Disparities" serials publication New Delhi.*